उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-51/1428/एक-1-2015-5(83)/2015

लखनऊ: दिनाँक: 20 अगस्त, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	**जिला**	**तहसील**	**परगना**	**गॉव**	**गाटा संख्या**	**क्षेत्रफल (हे0 में)**	विवरण/प्रयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	गौतमबुद्वनगर	सदर	दादरी	रसूलपुर राय	2	0.0760	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					9	0.0130	
3					13	0.0330	
4					18	0.0780	
5					19	0.0460	
6					20	0.0750	
7					28	0.0330	
8					29	0.0730	
9					31	0.0950	
10					35	0.0060	
11					26 म	0.0890	
12					37	0.0700	
13					45	0.0050	
14					48	0.0520	

shasnadesh.up.nic.in

15					58	0.1160	
16					62	0.0350	
17					66	0.1390	
18					67	0.0380	
19					70	0.0230	
20					72	0.0710	
21					77	0.0750	
22					78	0.1430	
23					83	0.1900	
24					90	0.0400	
25					91	0.0280	
26					97	0.0260	
27					98	0.0780	
28					99	0.0600	
29					103	0.2920	
30					104	0.2020	
31					106	0.0380	
32					111	0.0620	
33					117	0.1120	
34					121	0.0590	
35					122	0.0810	
36					123	0.0550	
37					126	0.0950	
38					130	0.0230	
39					131	0.0700	
40					140	0.0190	
41					141	0.0210	
42					142	0.0750	
43					148	0.7910	

shasnadesh.up.nic.in

44					149	0.2660	
45					156	0.0090	
46					160	0.1250	
47					163	0.0540	
48					170	0.0480	
49					182	0.0320	
50					187	0.0140	
51					188	0.0090	
52					193	0.0350	
53					194	0.0700	
54					203	0.0220	
55					204	0.0350	
56					207	0.0300	
57					208	0.1000	
58					211	0.1200	
59					217	0.2060	
60					225	0.0630	
61					226	0.0320	
62					228	0.0060	
63					234	0.0210	
64					235	0.0040	
65					242	0.0820	
66					243	0.1400	
67					248	0.0460	
68					249	0.0280	
69					262 म	0.0045	
70					269 म	0.0640	
71					276 म	0.0278	
72					277 म	0.0177	
73					281	0.0060	

shasnadesh.upric.in

74					285 म	0.0708	
75					286 म	0.0468	
76					294	0.0190	
77					298	0.0850	
78					305	0.0560	
79					306	0.0340	
80					313	0.0430	
81					317	0.0460	
82					323	0.0240	
83					324	0.0130	
84					329	0.0470	
85					330	0.0260	
86					336	0.0710	
87					337	0.0230	
88					177/396	0.0130	
89					42/397	0.0030	
				कुल योग	**कुल 89 गाटा**	**6.1386 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1428(1)/एक-1-2015-5(3)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-2531/डीएलआरसी/2014-15, दिनाँक 25.02.2015 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनाँक 09 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि कुल 89 गाटा रकबा 6.1386 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के

shasnadesh.up.nic.in

अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

3. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- चकमार्ग, सड़क व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि चकमार्ग व सड़क की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ही ग्रामवासियों के आवागमन एवं नाली के माध्यम से हो रहे पानी के नैसर्गिक बहाव एवं सिंचाई की व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा। ग्राम सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण केवल ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी योजना/कार्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1428(2)/एक-1-2015-5(3)/2015 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4- विशेष कार्याधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

shasnadesh.up.nic.in